प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर आ जाएगा कोरबा शहर

तपन चक्रवर्ती

कोरबा, 14 मार्च (छत्तीसगढ़)। देश का पांचवां प्रदूषित शहर कोरबा शीघ्र ही सर्वाधिक प्रदूषित शहारों की सूची में शीर्ष पर होगा। यह कोरबावासियों के लिए एक दुखद समाचार है।

औद्योगिक शहर में कोरबा विद्युत संयंत्रों की स्थापना, खदानों के निरंतर विस्तार से जलवायु प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी, एनटीपीसी, जमनीपाली, बालको और लैंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कई विद्युत संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है। कई नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इन संयंत्रों के चालू होने के बाद कोरबा देश का शीर्ष विद्युत उत्पादक बन जाएगा। इसी के साथ ही देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भी।

कोरबा जिले में एसईसीएल के चार क्षेत्रों और एक निजी कंपनी प्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। कोयला उत्खनन और परिवहन के कारण शहर में भारी प्रदूषण है। उत्खनन और परिवहन गतिविधियों में लगे भारी वाहन प्रदूषण फैलाते हैं सो अलग। जिले में स्थापित अन्य छोटे- बड़े उद्योगों ने भी सांस में घुटन पैदा करनी शुरू कर दी है।

केंद्रीय पर्यावरण मंडल ने कोरबा में जल, वायु और भूमि तीनों को प्रदूषित घोषित किया है और उसे देश में पांचवां सर्वाधिक प्रदूषित शहर माना है। पिछले दिनों पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में आद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण के लिए चिन्हित किया था। इस आदेश के अनुसार आगामी 7-8 महीनों तक प्रदूषित शहरों में नए उद्योगों की स्थापना और वर्तमान उद्योगों की क्षमता के विस्तार की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त टीम द्वारा इस मामले में निरीक्षण किए जाने के बाद एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस कार्य योजना की समीक्षा के बाद ही उद्योग की स्थापना की अनुमति की जा सकेगी।

केंद्रीय पर्यावरण मंडल ने विद्युत संयंत्रों की चिमनियों, खदानों, कोयला, परिवहन, सड़क में चलने से उत्पन्न विशैली गैंसों, सिगड़ी जलने से उत्पन्न हानिकारक गैसों आदि को वायु प्रदूषण के कारण माने हैं। शहर में इन गतिविधियों की अधिकता है।

जिले में चारपारा, रिस्दा, पंडरीपानी, धनरास, डंगनिया, बलगीखार आदि स्थानों में राखड़, बांध भर जाने के कारण बंद कर दिए गए हैं। विद्युत संयंत्रों की राख अन्य राखड़ बांधों में डाली जा रही है। भरे हुए राखड़ बांधों के कारण वहां की भूमि अनुपजाऊ हो गई और शेष राखड़ बांधों के भर जाने के बाद वहां की भूमि की अनुपजाऊ हो जाएगी। जिले में राखड़ बांध के लिए अब तक सैकड़ों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। राखड़ बांध के राख- मिश्रित पानी नदी-नालों में प्रवाहित किया जाता है इसमें नदी-नालों का पानी प्रदूषित हो रहा है अनेक उद्योगों द्वारा हानिकारक रायायनिक पदार्थ भी नदी-नालों ने प्रवाहित किए जा रहें हैं। इन गतिविधियों के कारण हसदेव नदी और छोटे-छोटे नालों का पानी प्रदूषित हो रहा है। जिले में व्याप्त प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा जिले में स्थापित उद्योगों को समय-समय पर नोटिस दी जाती है, पर प्रदूषण में कोई कमी नहीं आ रही है। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी जिले में व्याप्त प्रदूषण की बात को स्वीकार करते हैं। जिले में कोयले और पानी की उपलब्धता के कारण यहां उद्योग स्थापित करना आसान और लाभप्रद माना जाता है।

कोलवाशरियों की स्थिति (स्थापित और प्रस्तावित)

कोलवाशरी का नाम	क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)
1. आर्यन कोल बेनिफिकेशन	3
2. एस.ई.सी.एल., रतिजा	5
3. आर्यन कोल, चाकाबूड़ा	7
4. आर्यन कोल, बिंझारा	4.8
5. स्पेक्ट्रम कोल, रतिजा	8
6. भाटिया इंटरनेशन, झाबर	5
7. मारूति कोलवाशरी	5
8. हिंद एनर्जी, धतुरा	2.4
9. एस. वी. पावर, रेकी	4.8
10. आर्यन कोल, कुचैना	5

एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थिति (स्थापित और प्रस्तावित)

एल्यूमिनियम संयंत्र का नाम	क्षमता (लाख टन प्रति वर्ष)
1. एल्यूमिनियम स्मेल्टर, संयंत्र-	22.45
2. एल्यूमिना स्मेल्टर	7
3. एल्यूमिना रिफाइनरी	2

जिले में स्थापित विद्युत संयंत्रों की स्थिति	उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)
1. एनटीपीसी	2100
2. छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी	440
3. कोरबा पूर्व	840
4. एचटीपीपी	270
5. बीसीपीपी	270
6. बालको	540
7. डीएसपी एमटीपीपी	500
8. लैंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट	300
9. आर्यन कैप्टिव पावर प्लांट	30

नए और निर्माणधीन विद्युत संयंत्र संयंत्र का नाम	उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)
1. एनटीपीसी	500
2. एचटीपीपी	500
3. लैंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट	300
4. वंदना टीपीपी	540
5. वंदना एनर्जी एंड स्टील, धनरास	60
6.स्वास्तिक स्पंज एंड पावर लि.	50
7.मारूति कोल एंड पावर प्लांट	270
8. एस. वी. पावर प्लांट	120
9.धीरू पावर, छुरी	530
10. बालको	1500
11. आर्यन कोल बेनिफिकेशन	50

कोयला खदनों की स्थिति खदान का नाम	उत्पादन क्षमता (मिलियन टन प्रतिवर्ष)
1. गेवरा	35
2. दीपका	25
3. कुसमुण्डा	15
4. कोरबा	6.5
5 प्रकाश इंडस्ट्रीज	1

वेदांत ने कानून तोड़ा- जयराम रमेश

पहले पेज से आगे

के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के दृष्टिकोण से इस योजना की समीक्षा की। केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश के अनुसार प्रथम दृष्टया मंजूरी प्रक्रिया और वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन पाया गया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वेदांता-स्टरलाइट की एल्यूमिनियम रिफाइनरी के लिए बॉक्साइट का प्रबंध करने वाली उड़ीसा खान निगम की परियोजना का निर्माण मंत्रालय द्वारा वन भूमि पर किए जाने वाले कार्यों की अनुमति लिए बगैर ही गैर वन क्षेत्रों में आरंभ कर दिया गया।

मंत्रालय की मार्गदर्शिका के अनुसार गैर वन भूमि पर भी किसी परियोजना का कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि वन भूमि पर होने वाले निर्माण कार्यों के लिए मंत्रालय से मंजूरी न मिल जाए। दिलचस्प बात तो यह है कि दो वन अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी इस रामानाथन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में जहां नियमों के भारी उल्लंघन की जानकारी दी गई है वहीं एक आदिम जनजाति-डोंगरिया कोंद के जनजीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इन लोगों का लांजीगढ़ के वन आच्छादित पहाड़ों पर परंपरागत भूस्वामित्व है। सूत्रों ने बताया कि सुश्री रामानाथन ने संकेत दिए हैं कि पुनर्वास का कार्यक्रम अत्यंत खराब ढंग से हुआ है। उनके अनुसार इस आदिम जनजाति समुदाय के सामुदायिक अधिकारों का भी संरक्षण उचित ढंग से नहीं किया गया है जिसे वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है। एक विस्तृत जनसुनवाई के बाद उन्होंने इस बात को दर्ज किया है कि यह समुदाय इस परियोजना के खिलाफ है क्योंकि इससे उनके जीवन-यापन का साधन नष्ट हो जाएगा।

उन्होंने स्टरलाइट के बजाय वेदांता की उपस्थिति को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत माना है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट ने वन्य प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वन्य कानूनों का इसे स्पष्ट उल्लंघन माना है। आदिवासी अधिकारों के मुद्दे आदिवासी मंत्रालय में भेजे जाएंगे और पर्यावरण मंत्रालय वन संरक्षण अधिनियम और अन्य नियमों से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करेगा।

ब्रिटिश सरकार के दोषी ठहराने पर वेदांता को आपत्ति

0 वेदांता ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया - सर्वाइवल इंटरनेशनल
0 एनसीपी का निष्कर्ष गलत और अनुपयुक्त - वेंदाता रिसोर्सेस

लंदन, 14 मार्च (एजेंसी)। वेदांता रिसोर्सेस पीएलसी ब्रिटिश सरकार की ओर से उड़ीसा में उसके द्वारा किए जा रहे बाक्साइट उत्खनन की जांच की आलोचना की है कि जिसके आधार पर सरकार ने वेदांता को खराब व्यवहार का दोषी करार दिया है। कंपनी ने सरकार की जांच के निष्कर्ष को एकतरफा भी बताया है।

सितम्बर 2009 में ब्रिटिश सरकार ने सर्वाइवल इंटरनेशनल द्वारा इसी प्रकार के निष्कर्ष कि वेदांता का बतौर कंपनी खराब व्यवहार रहा है, मान्य किया है। उसे इस आशय की शिकायतें भी मिली थी। बहुराष्ट्रीय उद्योगों के ओईसीडी मार्गदर्शिका के अंतर्गत सरकार के नेशनल कांटेक्ट प्वाइंट (एनसीपी) का निष्कर्ष था कि वेदांता उड़ीसा के लांजीगढ़ में डोंगरिया कोंढ जनजाति के लोगों के लिए पवित्र पहाड़ों की बाक्साइट के लिए खुदाई कर रहा है और उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। एनसीपी ने कंपनी के व्यवहार में सुधार की आवश्यकता बताई है। सर्वाइवल और वेदांता के रिपोटों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने इस जांच के अंतिम निष्कर्ष कल जारी किए कि क्या कंपनी ने पिछले सितंबर को चाहे गए परिवर्तन किए हैं या नहीं।

सर्वाइवल की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें अपनी जांच के दौरान एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि वेदांता ने वहां लोगों के लिए कुछ किया है। उल्टे कंपनी एनसीपी की सिफारिशों का पूरी तरह उल्लंघन करती दिखाई देती है। दूसरी तरफ वेदांता ने स्पष्ट किया है कि एनसीपी के इन निष्कर्षों को वह स्वीकार नहीं करती क्योंकि यह आलोचना अनुपयुक्त और गलत है। कंपनी ने एनसीपी द्वारा सकारात्मक और परामर्शदायी भूमिका निभाने की अपेक्षा की है न कि वह एकतरफा विचारों को स्वीकृत करे। वेदांता रिसोर्सेस एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और इस पर ब्रिटिश सरकार के कानून लागू होते हैं।

भगवती जागरण 20 को

मनेन्द्रगढ़, 14 मार्च। चैत्र रामनवमीं के अवसर पर भगवती जागरण का आयोजन 20 मार्च को रात्रि 9 बजे से स्थानीय श्री राम मंदिर प्रांगण में किया गया है जिसमें जबलपुर के सुप्रसिद्ध देवी गीत गायक सविता हालदार एवं पार्टी द्वारा माता के भजनों का गुणगान किया जाएगा। माँ भगवती जागरण समिति द्वारा विगत् 17 वर्षों से प्रतिवर्ष माता का जगराता आयोजित किया जा रहा है जिसमें क्रमश: दिल्ली, हरियाणा, बिलासपुर, जबलपुर व टाटानगर के देवी भजन गायक एवं गायिकाओं द्वारा भजनों का गुणगान किया जा चुका है। आयोजन समिति ने नगर के समस्त श्रद्धालुओं से जगराता कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्यलाभ अर्जित करने का अनुरोध किया है।

जैन पार्श्व मंडल के गोलछा अध्यक्ष बनें

नारायणपुर,14 मार्च। जैन पार्श्व मंडल का गठन समाज से वरिष्ठ लोगों और पूर्व पदाधिकारियों के बीच किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से संतोष गोलछा को अध्यक्ष चुना गया।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायगढ़
रायगढ़ संभाग रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/512/ग्रा.यां.सेवा/टेण्डर/2009-10, रायगढ़ दिनांक 11 मार्च 2010

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से निम्नलिखित सीमेंट प्रदाय हेतु दिनांक 01.04.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मुहरबंद निविदाएं, कार्य छ.ग. कार्य विभाग नियमावली 1983 के परिशिष्ठ-2.15 में निर्धारित प्रपत्र 'सी' में आमंत्रित की जाती है। इन निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

ग्रुप क्र.	सीमेंट का विवरण	विकास खण्ड	अनुमानित मात्रा (बोरी में)	अनुमानित लागत (रुपये में)	अमानत राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	आर्डनरी पोर्टलेण्ड सीमेंट/पोर्टलेण्ड स्लेग सीमेण्ट/ पोजोलोना पोर्टलेण्ड सीमेंट आई.एस.आई. मार्का 12269 के ग्रेड 43/53 विशिष्टकरण अनुसार लोडिंग, अनलोडिंग निर्माण कार्य स्थल तक परिवहन एवं स्टेकिंग सहित	खरसिया	450	99000	1900	प्रत्येक ग्रुप के लिए रु. 300/-
2.	-तदैव-	धरमजयगढ़	450	99000	1900	
3.	-तदैव-	लैलुंगा	450	99000	1900	
4.	-तदैव-	सारंगढ़	450	99000	1900	
5.	-तदैव-	बरमकेला	450	99000	1900	

शर्तें :-

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 31.03.2010 तक अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. सीमेंट उत्पादन करने वाली सीमेंट कम्पनी एवं सीमेंट के अधिकृत डीलर की निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. यह संक्षिप्त निविदा है। निविदा संबंधित सामान्य शर्तें एवं विवरण इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

निविदा की सामान्य शर्तें :-

1. अमानत राशि प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग-अलग जमा करना होगा। 2. निर्माण सामग्री का दर ग्रुपवार कार्य स्थल तक पहुंचाने एवं एक्स फैक्ट्री पर देवें। 3. सीमेंट का प्रदाय निम्नलिखित स्थिति में स्वीकार की जावेगी।

अ. सीमेंट नये बोरी में मशीन सिलाई, वजन 50 कि.ग्रा. होना चाहिए।

ब. बोरी के बाहरी भाग में मोनो तिथि एवं नहीं मिटने वाले पेन्ट से सीमेंट का प्रकार लिखा होना चाहिए।

4. प्रदायकर्ता केवल ओ.पी.सी./पी.एस.सी./पी.पी.सी. आई.एस.आई. से प्रमाणित हो, का दर अंकित करें। यदि विभाग महसूस करता है कि प्रदत्त की गई सीमेंट की जांच प्रयोगशाला में कराना आवश्यक है, तो प्रदायकर्ता को इसकी जांच स्वयं के व्यय पर करवा कर देना होगा। 5. सशर्त व ओव्हर राईटिंग की हुई अथवा कटी-फटी निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर का निर्णय बंधनकारी होगा। 6. प्रदायकर्त्ता द्वारा शासन को देय समस्त करों का भुगतान करना होगा। भुगतान न करने की स्थिति में सभी करों की राशि उनके देयक से काट ली जावेगी। 7. कार्यादेश जारी होने के 7 दिवस के अंदर सीमेंट प्रदाय करना शुरू किया जाना होगा। जो विभाग की आवश्यकता के अनुरुप अलग-अलग मात्रा में समय-समय पर आदेश दिया जावेगा। 8. सीमेंट प्रदाय के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। निविदा शर्तों के अनुसार ही प्रपत्र में दर दर्शाये जावें स्वयं के द्वारा किसी प्रकार की शर्तों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी। 9. निविदाकार निविदा से संबंधित जानकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं। 10. सीमेंट की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। 11. बयाने की राशि के रूप में डिपोजिट एट काल बैंक गारंटी मान्य नहीं होगा। 12. निविदा दर 30.04.2010 तक मान्य होगा। 13. सीमेंट का टेस्ट रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है। 14. सीमेंट विभिन्न विकासखंड के कार्य स्थल तक प्रदाय किया जाना होगा। 15. कार्यपालन अभियंता कक्ष में स्थापित घड़ी के अनुरुप समय निर्धारित रहेगा, किसी अन्य की घड़ी का समय मान्य नहीं होगा।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
रायगढ़ संभाग, रायगढ़

जी-18152

अवैध कोल उत्खनन सब एरिया मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

छत्तीसगढ़ संवाददाता,

मनेन्द्रगढ़, 14 मार्च। नगर पंचायत खोंगापानी अंतर्गत घुटरीटोला में अवैध कोल उत्खनन एवं परिवहन की शिकायत पर एसडीएम गजेन्द्र सिंह ठाकुर ने मौके पर पहुँचकर एक ट्रक एवं कोयले को जब्त कर लिया है। अवैध कोल परिवहन में लिप्त ट्रक क्र. एमपी18जीए-1219 को खोंगापानी पुलिस चौकी में खड़ी कराया गया है।

13 मार्च शनिवार को घुटरीटोला बंद ओपन कास्ट में अवैध कोल परिवहन की शिकायत मिलने पर एसडीएम गजेन्द्र सिंह ठाकुर एवं नायब तहसीलदार देवेन्द्र चौधरी व आरआई सियाशरण तिवारी, श्रीकांत पाण्डेय ने मौके पर पहुँचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया तो पाया कि ट्रक में अवैध कोयला लोड किया जा रहा था। चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि ट्रक बुढ़ार निवासी जीवन लाल यादव की है जिसमें राजनगर ओसी सब एरिया मैनेजर बी. प्रसाद के मौखिक आदेश पर उसके द्वारा ट्रक में कोयला लोड कराया जा रहा है। मौके पर ही सब एरिया मैनेजर बी. प्रसाद एवं मैनेजर एमपी दरगर को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनके द्वारा गोलमोल जवाब दिए जाने पर एसडीएम ने सब एरिया मैनेजर बी. प्रसाद और ट्रक चालक शारदा प्रसाद रजक निवासी बिरौलही शहडोल के खिलाफ खोंगापानी पुलिस चौकी में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के आदेश दिए। एसडीएम ने कहा कि इस मामले में विधि अनुसार दस्तावेज न पाये जाने पर एसईसीएल के कुछ अधिकारियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि जबसे घुटरीटोला ओपन कास्ट बंद की गई है, तभी से एसईसीएल के कुछ अधिकारियों एवं कोल माफियाओं की सांठगाँठ से यहाँ से अवैध कोल उत्खनन कर उसका परिवहन किया जाता है।

बहरहाल देखना यह है कि राजस्व अधिकारी इस मामले की तह में कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि इसके पूर्व अवैध कोल उत्खनन और परिवहन के ज्यादातर मामले ले-देकर रफा-दफा कर दिए जाते रहे हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चल रहीं विभिन्न योजनाएं

अंबिकापुर, 13 मार्च। सरगुजा जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का संचालपन के क्रिन्यावन की मासिक समीक्षा भी होती है। जिला पंचायत सरगुजा द्वार स्वर्ण यजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत ९ जनपदों में कुल 36 अल्पसंख्यक हितग्राहियों को 10 लाख 89 हजार का ऋण वितरित किया तथा 2 लाख 99 हजार का अनुदान किया गया तथा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 19 जनपद पंचायतों में से 13 जनपद पंचायतों में 497 अल्प संख्यक वर्ग के हितग्राही लाभाविन्त हुए है। जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र अंबिकापुर द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत अल्पवं2यक समुदाय के ४३ आवेदन बैंकों को प्रेषित किये गये। बैंको द्वारा लोन स्वीकृत कियें जा रहें है। तीन आवेदनों पर बैंको से 8 लाख 46 हजार रूपये ऋण स्वीकृत किया गया है।

छोटी सी बात

जब किसी भीड़ की जगह पर हों, तो मोबाइल फोन पर कम से कम और धीमे बात करें। ऐसा न करके आप अपनी गोपनीयता खत्म करते हैं और बाकी लोगों का अपमान भी।

सेहत

अधेड़ों में फेफड़ों की तकलीफ का कारण जन्म के समय कम वजन

गर्भावस्था में महिला के पोषण पर बहुत जोर देने का कारण यह है कि इसका सम्बन्ध प्रसव के पहले, और प्रसव के बाद मां और गर्भस्थ शिशु और जन्म के बाद बच्चे की सेहत से यह बात गहरे जुड़ी हुई है।

बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी में हाल में हुई एक शोध में पता चला है कि अधेड़ उम्र के ज्यादातर वही लोग सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करते हैं, जन्म के समय जिनका वजन कम था। अध्ययन से पता चला कि जन्म के समय तन्दुरुस्त, और अधिक वजन वाले बच्चों के मुकाबले कम वजन वाले बच्चे बड़े होकर फेफड़ों की तकलीफ का शिकार होते हैं।

शोध में पता चला कि फेफड़े में इंफेक्शन जैसी शिकायतें ऐसे लोगों में कम पाए गई जिनका वजन जन्म के समय साढ़े पांच पाऊंड या उससे ज्यादा था। 7 पाऊंड के जन्मे लोगों में अधेड़ अवस्था में पहुंचकर यह शिकायत सबसे कम पाई गई।

शोधकर्ताओं को जन्म के समय कम वजन और अधेड़ अवस्था में जाकर फेफड़े की तकलीफ के बीच क्या सम्बन्ध है यह पता नहीं लग सका, लेकिन इस अध्ययन से इस विचार को बल मिलता है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु का समुचित विकास न होने पर आगे जाकर फेफड़े से सम्बन्धित तकलीफें पैदा हो सकती हैं।

By Health-Watch

एसईसीएल ने रोका पीने का पानी

पोखरी के पानी पर बुझा रहे प्यास

मनेन्द्रगढ़, 14 मार्च। नगर पंचायत खोंगापानी अंतर्गत घुटराटोला निवासी कई ग्रामीण महिला- पुरूषों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ गजेन्द्र सिंह ठाकुर को लिखित में शिकायत पत्र सौंपकर कॉलरी प्रबंधन से पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग की।

एसडीएम श्री ठाकुर के नगर पंचायत खोंगापानी पहुँचने पर घुटरीटोला निवासी चुन्टी, मोहन,

फूलकुँवर, बिजुल, रामजी, रंजू, रजना, रामकली, सोनकुँवर, बूनी बाई, कुँवरिया, रानी, सुकवरिया, रामबाई, गीता, मनीषा, सोना आदि ने खाली बर्तन लेकर पेयजल की समस्या से उन्हें अवगत कराया। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में कहा कि बीस वर्षों से उन्हें सब एरिया राजनगर ओसीएम द्वारा पेयजल की सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन बीते दो माह से पेयजल की सप्लाई बंद कर दिए जाने से वे लोग पानी की एक-एक बूँद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मजबूरी में उनके द्वारा पोखरी का पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जब उनके द्वारा प्रबंधन से पानी की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि क्या कॉलरी प्रबंधन उनके जिन्दगी भर का ठेका ले रखा है।

साथ ही गाली-गलौज कर स्वयं पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है। एसडीएम ने उक्त शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए अतिशीघ्र ग्रामीणों को पेयजल सुविधा मुहैया कराए जाने का आश्वासन दिया है। बहरहाल ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण पोखरी का पानी पीकर असमय ही काल के गाल में समाएं इसके पूर्व ही प्रशासन को अपने आश्वासन पर अमल भी करना होगा।

OBEROI TOURS & TRAVELS
INTERNATIONAL PACKAGES
DUBAI MAURITIUS | THAILAND MALAYSIA | SINGAPORE & CRUISE
K.K. ROAD, OPP. HOTEL ADITYA, RAIPUR, PH: 2539977#88

RAIPUR-DELHI 0800-0950 0835-1125 1915-2130 — JET KONNECT, AIR INDIA, KINGFISHER — DELHI-RAIPUR 0540-0725 0620-0800 1650-1845
RAIPUR-MUMBAI 0910-1050 1235-1615 — JET LITE, AIR INDIA — MUMBAI-RAIPUR 0700-0840 1025-1155
RAIPUR-HYDERABAD 1950-2135 1135-1315 — KINGFISHER, JET — HYDERABAD-RAIPUR 0800-0945 1440-1615
RAIPUR-BHOPAL 1645-1815 — JET — BHOPAL-RAIPUR 0935-1105
RAIPUR-INDORE 0835-1040 1645-1930 — KINGFISHER, JET — INDORE-RAIPUR 1725-1930 0820-1105
RAIPUR-AHMEDABAD 1645-2120 0835-1240 — JET, KINGFISHER — AHMEDABAD-RAIPUR 0630-1105 1550-1930
RAIPUR-KOLKATA 2000-2200 1015-1230 — KINGFISHER, KINGFISHER — KOLKATA-RAIPUR 0555-0805 1715-1920
RAIPUR-NAGPUR 0805-0845 AIR INDIA — PUNE-RAIPUR 0550-0945 KINGFISHER — RAIPUR-BHUBANESHWAR 1235-1335 AIR INDIA
NAINITAL MANALI, GOA, KASHMIR, KERELA, GANGTOK
MALDIVES, MAURITIOUS, THAILAND, MALAYSIA, SINGAPORE, EUROPE
PASSPORT* *APPROVED Agency by Govt.of India | IATA | VISA
Lowest Through Fares Available for Bangalore, Chennai, Tirupati, Goa, Etc.